<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25/1/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 23/01/2026 को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय (सीसीसीएच-1), बेंगलुरु के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अभियोग दायर किया है, जिसमें कंपनी को उसके निदेशकों, पावन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर और साथ ही उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली (100%) सहायक कंपनियों, विदेशी और भारतीय संस्थाओं, जैसे मेसर्स विनज़ो यूएस इंक., यूएसए, मेसर्स विनज़ो एसजी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेडओ प्राइवेट लिमिटेड को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

बेंगलुरु सीईएन पुलिस स्टेशन और राजस्थान, नई दिल्ली और गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों द्वारा आईपीसी, 1860 के तहत धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने 18/11/2025 और 30/12/2025 को विनज़ो के कार्यालय परिसर, उसके निदेशक के आवासीय परिसर और उसकी लेखा फर्म के कार्यालय में तलाशी और ज़ब्ती अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए और बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट सहित लगभग **690 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया गया।**

विन्ज़ो कंपनी अपने मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए रियल मनी गेम्स (आरएमजी) की सुविधा देती है। यह 100 से ज़्यादा नंबर गेम पेश करती है और दावा करती है कि इसके लगभग 25 करोड़ यूज़र हैं, जिनमें से ज़्यादातर टियर-3 और टियर-4 शहरों से हैं। इन आरएमजी सेवाओं के लिए कंपनी यूज़र्स द्वारा लगाई गई बेटिंग राशि का एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में लेती है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने यूज़र्स को भरोसा दिलाया है कि उसका गेमिंग प्लेटफॉर्म बॉट्स से मुक्त है और पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित है।

हालांकि, जांच से पता चला कि **अधिकांश आरएमजी में हेरफेर किया गया था। गेम कोडबेस, तृतीय-पक्ष डेवलपर समझौतों और आंतरिक संचार के विश्लेषण से पता चला कि दिसंबर 2023 तक, आरएमजी में बॉट्स/एआई/एल्गोरिदम प्रोफाइल एम्बेडेड थे।** मई 2024 से अगस्त 2025 की अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कोड आधारित बॉट (बॉट) कार्यप्रणाली को बदलकर निष्क्रिय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक मैच-प्ले डेटा को वास्तविक उपयोगकर्ताओं की जानकारी या सहमति के बिना अनुकरण करना शुरू कर दिया। इन अनैतिक कृत्यों को दबाने और छिपाने के लिए, कंपनी ने जानबूझकर बॉट और नकली खिलाड़ियों के उपयोग को भ्रामक शब्दावली जैसे ईपी (एंगेजमेंट प्ले), पीपीपी (पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर) और पर्सोना के तहत संदर्भित किया।

जांच में आगे पता चला कि उपयोगकर्ताओं को शुरुआत में छोटे बोनस का लालच दिया गया और उन्हें आसान बॉट्स के खिलाफ जीतने के लिए प्रेरित किया गया, यहां तक कि उन्हें छोटी जीत की रकम निकालने की अनुमति भी दी गई, जिससे उनमें झूठा विश्वास पैदा हुआ। जैसे ही उपयोगकर्ताओं ने

अधिक बोनस राशि के साथ खेलना शुरू किया, जीतने वाले/कठिन बॉट्स को व्यवस्थित रूप से तैनात किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से पता चला कि **असली उपयोगकर्ता बॉट प्रोफाइल (ईपी और पीपीपी बॉट दोनों) के शिकार हुए और उन्हें लगभग 734 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ**। इसके अलावा, उच्च दांव पर जीती गई असली रकम भी अक्सर प्रतिबंधात्मक निकासी तंत्र के कारण अवरुद्ध हो जाती थी, जिससे उन्हें खेल जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

यह भी पाया गया कि केंद्र सरकार द्वारा रेडीमेड माल (आरएमजी) पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी, **विनज़ो ने वैध उपयोगकर्ताओं की जीती हुई रकम और जमा राशि के रूप में 47.66 करोड़ रुपये वापस नहीं किए।** इस प्रकार, **कंपनी ने** वित्तीय वर्ष 2021-2022 से वित्तीय वर्ष 2025-2026 (22/08/2025 तक) के दौरान **कुल 3522.05 करोड़ रुपये की अपराध-जनित आय अर्जित की है।** जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले सबूतों से यह भी पता चला कि **विन्ज़ो की इस जोड़-तोड़ वाली गेमिंग संरचना ने उपयोगकर्ताओं (विशेष रूप से, गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों) को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया, और कुछ उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर अत्यधिक मानसिक तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति का भी अनुभव किया।**

इसके अलावा, जांच में पता चला कि कंपनी द्वारा अपराध से प्राप्त धन को अमेरिका और सिंगापुर में बनाई गई फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था। **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आड़ में लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन फर्जी कंपनियों के नाम पर विदेशी बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे।** इसके अलावा, **बिना किसी वैध व्यावसायिक तर्क के, 'होल्डिंग कंपनी से ऋण' के बहाने 230 करोड़ रुपये की राशि एक अन्य आरोपी सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई।** अपराध की आय से प्राप्त अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये को ओडीआई मार्ग के तहत हस्तांतरित करने का भी प्रयास किया गया, हालांकि, अनिवार्य लेखापरीक्षा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह सफल नहीं हो सका।

अभियोजन पक्ष की शिकायत में, ईडी ने स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया है कि आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर अपराध की आय अर्जित की, उसे अपने पास रखा, उसका उपयोग किया और उसे छुपाया तथा उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तदनुसार, उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत धन शोधन का अपराध सिद्ध होता है, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

आगे की जांच जारी है।